राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी--**rsscjaipur@gmail.com**

क्रमांकः एफ.10(1)/खे.अ.जयपुर/2026–27/रा.का.क्र.सं. दिनांकः (यथाहस्ताक्षर)

ई–निविदा सूचना संख्या 32/2026–27

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल अकादमियों/खेल स्कूल/खेल संस्थानों में "Tender for providing Manpower, coordination supervision and management services for operation of mess (Raw material to be provided by the department)" as per Annexure-3 उपलब्ध करवाने के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा विभागीय वेबसाईट **http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in** व **www.rssc.in** पर भी उपलब्ध है।

(राजकेश मीना)
आर.ए.एस
सचिव

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांकः एफ.10(1)/खे.अ.जयपुर/2026–27/रा.का.क्र.सं. दिनांकः (यथाहस्ताक्षर)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल अकादमियों/खेल स्कूल/खेल संस्थानों में "Tender for providing Manpower, coordination supervision and management services for operation of mess (Raw material to be provided by the department)" as per Annexure-3 के लिये पात्रता रखने वाली फर्मों/कंपनियों से ऑनलाईन (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा प्रपत्र सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किया जावे :–

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1	सेवा का नाम	"Tender for providing Manpower, coordination supervision and management services for operation of mess (Raw material to be provided by the department)" As per **Annexure-3**
2	उपापन/निविदा की पद्धति	खुली प्रतियोगी ई–निविदा
3	अनुमानित राशि	रूपये 178.00 लाख (एक वर्ष)
4	निविदा शुल्क (Bid Document Fees)	3,000/– सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी प्रस्तुत करनी होगी।
5	प्रकिया शुल्क (Processing Fees)	2,000/– MD, RISL, Jaipur के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी प्रस्तुत करनी होगी।
6	बयाना राशि (EMD Fees)	3,56,000/– सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी
7	ई–निविदा के प्रस्ताव शुरू करने दिनांक, समय	दिनांक 17.08.2026 सायं 5:00 बजे से
8	प्री–बिड मीटिंग की दिनांक, समय	दिनांक 19.08.2026 दोपहर 12:00 बजे से
9	ई–निविदा के प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम दिनांक, समय	दिनांक 21.08.2026 दोपहर 12:00 बजे तक
10	डी0डी0/बैकर्स चैक जमा करवाने की अंतिम दिनांक, समय	दिनांक 21.08.2026 दोपहर 3:00 बजे तक
11	तकनीकी ई–निविदा को खोलने की दिनांक, समय	दिनांक 21.08.2026 ~~दोपहर~~ सायं 5:00 बजे
12	बिड डाक्यूमेन्ट, शुद्धिपत्र प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने की वेबसाईट	वेबसाईट **http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in** व **www.rssc.in**
13	अनुबंध अवधि	1 वर्ष।
14	बिड वैधता	60 दिवस।
15	कार्य सम्पादन प्रतिभूति	प्रदाय आदेश की राशि का 5 प्रतिशत।

सचिव

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–**rsscjaipur@gmail.com**

Annexure-1

1. संवेदकों द्वारा संचालित खेल अकादमियों में भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मैनपॉवर **(Qulification Annex-2)** लगाया जाना अनिवार्य होगा :–

क्र.सं.	खेल अकादमियॉं / खेल स्कूल / खेल संस्थान	बालक–बालिकाओं की संख्या	कार्य की प्रकृति			
1	2	3	4	5	6	7
			Cook	**Asst. Cook**	**Helper/Cleaner**	**Supervisior**
1	JAIPUR (Academy-3)	350	4	6	10	2
2	AJMER (Academy-2)	70	2	2	4	0
3	BIKANER	30	1	1	2	0
4	BHARATPUR	30	1	1	2	0
5	GANGANAGAR	30	1	1	2	0
6	JAISALMER (Academy-2)	70	2	2	4	0
7	JHUNJHUNU	36	1	1	2	0
8	KARUALI	30	1	1	2	0
9	KOTA	30	1	1	2	0
10	UDAIPUR	15	1	0	1	0
11	DUNGARPUR	15	1	0	1	0
12	JODHPUR	60	1	2	2	0
13	CHURU	50	1	1	2	0
14	DIDWANA	30	1	1	1	0
15	BHILWARA	30	1	1	1	0
16	BHARATPUR RGSI	100	2	1	2	1
17	CHURU	100	2	1	2	1
18	SIKAR (Academy-2)	60	2	2	4	0
19	Barmer	30	1	1	1	0
20	UDAIPUR	100	2	2	4	1
21	BANSWARA	30	1	1	1	0
Total		**1296**	**30**	**29**	**52**	**5**

Note:- 1. संवेदकों / फर्म को भुगतान संचालित अकादमियों के अनुसार / खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर उपलब्ध कराई गई मैनपावर के अनुसार किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

घोषणा

मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में मैन पॉवर कार्य की ई–निविदा के नियम एवं शर्तो को भली–भॉंति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में मैन पॉवर का कार्य करने हेतु सहमत एवं वचनबद्व हूॅं/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी ई–निविदा की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व ई–निविदा के नियम/शर्तों के उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर ई–निविदादाता...

नाम/पता ....

....

टेलीफोन नं. ....

दिनांक ....

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.03.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supplies or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141--2744283, फैक्स नं0 0141--2740568, ईमेल आईडी--rsscjaipur@gmail.com

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No..............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and Supervisiorial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place:

Signature of bidder Place :
Name :
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.03.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, Rajasthan State Sports Council, Jaipur, The designation and address of the Second Appellate Authority is Additional Chife Secretary Govt. of Rajasthan.

(1) Filing an appeal: -

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

Signature valid

Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.03.17 13:37:37 IST
Reason: Approved

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid ring Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supplys or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी--rsscjaipur@gmail.com

General Instruction for Filling of Bid

1. The complete bidding document has been published on the website **www.rssc.in rajasthan.gov.in** /**www.sppp.rajasthan.sov.in** & **http://eproc.rajasthan.gov.in**, for the purpose of downloading.
2. Bidders who wish to participate in this bidding process must register on http://eproc. rajasthan.gov.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC.
4. A Two-stage selection procedure shall be adopted.
5. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for Technical and financial proposal on eProc website http://eproc.raiasthan.gov.in. However, DD for Tender/Bid Document Fees, EMD payable in favor of SECRETARY, RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR, payable at Jaipur and Processing Fees payable in favor of Managing Director, RAJCOMP Info Services Limited, payable at JAIPUR. Tender/Bid Document fee, EMD and processing fee DD Should be submitted physically at the office of RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, Jaipur and Scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid/ cover.
6. RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload on eProc website http://eproc.raiasthan.gov.in. the complete bid well advance in time so as to avoid Last hour rush issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
7. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-tendering process.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the RFP/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the tendering authority and the successful Bidder.
9. Training for the bidder on the usage of e-Tendering system (e-Procurement) is also being arranged by RISL on regular basis. Bidder interested for training may contact e-Procurement Cell RISL for booking the Training slot.

   a) Contact No. 0141-4022688/Helpline Help Desk Number 0L20-4200462.

   b) E-mail: eproc@raiasthan.gov.in

   c) Address: E-Procurement cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

SECRETARY

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal

Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,
{Tendering Authority},
_______________________________,
_______________________________,

I/ We...{Name/ Designation} hereby declare/ certify that ....

.{Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -

Authorized Signatory: -

Seal of the Organization: -

Date:

Place:

Verified Signature:

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–**rsscjaipur@gmail.com**

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल अकादमियों/खेल स्कूल/खेल संस्थानों में **"Tender for Providing Manpower, coordination supervision and management services for operation of mess (Raw material to be provided by the department)" as per Annexure-3** के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. निविदा की दर (ई–निविदा) कार्यालय राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा जारी ऑनलाईन प्रपत्रों में ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 3000/– रूपये मात्र तकनीकी ई–निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
3. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000/– रूपये मात्र तकनीकी ई–निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो MD, RISL, Jaipur के पक्ष में देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
4. बयाना (EMD Fees) की राशि रूपये 3,56,000/– रूपये मात्र तकनीकी ई–निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
5. ई–निविदा दो बिड सिस्टम में आमन्त्रित की जायेगी, जो ऑनलाईन ही संवेदक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। **प्रथम तकनीकी ई–निविदा** एवं **द्वितीय वित्तीय ई–निविदा** जो कि अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।
6. तकनीकी प्रस्तावों में सफल ई–निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगें जो निविदादाता तकनीकी बिड में सफल नहीं पाये गये उनकी वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेगी।
7. प्रस्तावित कार्य के लिए वित्तीय बिड में ई–निविदा की दर प्रतिमाह है। **Annexure-3** में निर्धारित मैन्यू तैयार करने एवं इस से सम्बन्धित कार्य हेतु "Tender for providing Manpower, coordination supervision and management services for operation of mess (Raw material to be provided by the department)" as per Annexure-3 उपलब्ध करवाने हेतु प्रति माह की दर समस्त करों सहित अंकित की जानी है।
8. समस्त प्रकार का रॉ–मेटेरियल यथा Food Material, LPG/Fuel, Kitchen Equipment आदि परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय शुल्क, स्थानीय कर या व्यय आदि लागू होते हैं तो उसका भुगतान निविदादाता को अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा। ई–निविदादाता द्वारा उपरोक्त प्रकार के समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुये ही ई–निविदा की दर इस कार्यालय की ई–निविदा में प्रस्तुत की जानी है। किसी भी प्रकार के व्ययों के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

9. <u>जिस निविदादाता की न्यूनतम मासिक दरें Annexure-3 में अंकित मैन्यू अनुसार भोजन तैयार करने के लिए मैनपावर हेतु सक्षम स्तर पर अनुमोदित की जायेगी उस निविदादाता को कुल ई–निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के तौर पर कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर जमा कराकर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।</u>
10. तकनीकी ई–निविदा के साथ ई–निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे (जिसके आधार पर तकनीकी बिड का मूल्याकंन किया जायेगा) :–
    i. ई–निविदा में अंकित पते के प्रमाण हेतु पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल, पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई एक की प्रमाणित छाया प्रतियां।
    ii. ई–निविदादाता/फर्म का विगत 5 वित्तीय वर्षो (2021–22 से 2025–26) में औसत टर्न ओवर **178 लाख** से कम नहीं होना चाहिये। इस हेतु ई–निविदादाता को टर्न ओवर के संबंध में उक्त वर्षो के चार्टेट एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र मय यूडीआई नं0 के हस्ताक्षर मय सील के प्रति संलग्न करनी होगी।
    iii. ई–निविदादाता/फर्म को चैक लिस्ट में अंकित विवरण अनुसार विगत 5 वित्तीय वर्षो (2021–22, से 2025–26) में राजकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में मैन पॉवर/भोजन व्यवस्था/अकादमी संचालन के किये गये कार्यों के कार्य आदेश एवं कार्य संतोषजनक के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। कार्यादेश हेतु विगत पांच वर्षों में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 100.00 लाख का एक कार्यादेश या 80.00 लाख के दो कार्यादेश या 60.00 लाख के तीन कार्यादेश होने चाहिए।
    iv. ई–निविदादाता के विरूद्व किसी भी राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम आदि का कोई आपराधिक मामला पुलिस में दर्ज न होने तथा न्यायालय में तत्सम्बन्धी कोई वाद विचाराधीन नहीं होना चाहिए। यदि आपराधिक पाये जाने पर ई–निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।
    v. ई–निविदादाता द्वारा मूल ई–निविदा प्रपत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। ई–निविदादाता द्वारा पूर्ण ई–निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। प्रत्येक कॉट–छॉट पर अपने हस्ताक्षर करने होगे अन्यथा कॉट–छॉट मान्य नहीं होगी। अपूर्ण रूप से भरी हुई ई–निविदा स्वीकार्य नही होगी।
    vi. ई–निविदादाता को श्रम विभाग या सक्षम स्तर पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
    vii. ई–निविदादाता को माल एवं सेवाकर (GST) के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
    viii. बयाना राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं ई–निविदा प्रपत्र शुल्क का डी.डी. संलग्न करना होगा।
    ix. ई–निविदादाता का पेन नम्बर एवं उसकी छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
11. वित्तीय बिड में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले संवेदक को **एल–1** घोषित किया जायेगा।
12. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के कार्य की अवधि **एक वर्ष** होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि से पूर्व यदि फर्म अनुबन्ध समाप्त करती हैं तो कार्यालय को तीन माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह की अनुबन्ध राशि परिषद के खाते में जमा करानी होगी। इसके साथ ही यदि ई–निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने, कार्य असंतोषप्रद/उचित व्यवस्था नहीं होने आदि पर उक्त समयावधि से पूर्व भी अनुबन्ध समाप्त करने का राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

13. ई–निविदा सम्पूर्ण रूप से भरी हुई होनी चाहिए तथा चाही गई समस्त सूचना का उल्लेख होना चाहिए। ई–निविदादाता को ई–निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने अनिवार्य होगे। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरी हुई ई–निविदा अथवा सशर्त ई–निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
14. ई–निविदादाता को ई–निविदा बयाना राशि के रूप में निविदा जारी राशि की 2 प्रतिशत राशि का डी. डी./बैकर चैक जो **सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर** के पक्ष में देय हो, ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ई–निविदा प्रतिभूति राशि के प्राप्त ई–निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. ई–निविदादाता को ई–निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपनी ई–निविदा को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
16. सफल ई–निविदादाता को ई–निविदा स्वीकृति के सात दिवस के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जो कुल ई–निविदा राशि के 5 प्रतिशत होगी, जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
17. फर्म के Manpower कर्मचारियों की सूची, पासपोर्ट साईज फोटो सहित पहचान पत्र अनुबन्ध के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा उन पर होने वाला समस्त व्यय ई–निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
18. असफल ई–निविदादाताओं की अमानत राशि सफल ई–निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं समस्त राशि प्रस्तुत/जमा करने के बाद लौटा दी जावेगी।
19. सेवा प्रदाता को भुगतान संबंधित सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर एवं प्रस्तुत बिल व उपस्थिति अनुसार किया जावेगा।
20. संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आवश्यकतानुसार अथवा परिषद् द्वारा सूचना मांगे जाने पर संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। विवाद की स्थिति में कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
21. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ईपीएफ व ईएसआई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौति ओर संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिकों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि एवं GST नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति (राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का पृथक से चालान) प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
22. न्यूनतम रहे संवेदक द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में उपलब्ध करवाये जाने वाले मैन पॉवर कार्मिकों की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके उपरान्त यदि परिषद में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद/सरकारी संस्थान से सेवानिवृत हुये कार्मिकों लगाये जाने की आवश्यकता होती है तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले मैन पॉवर कार्मिक को लगाये जाने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पास नियत होगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24051766
M e-Sign

23. Manpower कार्य करने वाले व्यक्तियों का आचरण तथा व्यवहार विनम्र होना चाहिए एवं उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के लिये पूर्ण रूप से सफल ई–निविदादाता जिम्मेदार होगा। कार्य करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वैरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी ई–निविदादाता की होगी। कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहनानी होगी तथा ई–निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर पहचान पत्र बनवाकर उपलब्ध कराने होगे, जिसको हर समय पहनना अनिवार्य होगा।
24. संवेदक द्वारा नियोजित ठेकाकर्मी का आचरण एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए और संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी पूर्ण करें। यदि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा किसी ठेकाकर्मी की शिकायत की जाती है तो संवेदक को उसे तुरन्त प्रभाव से बदलना होगा। संवेदक के किसी कर्मचारी द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है या संवेदक का कोई कर्मचारी अमानत में खयानत करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी और उसे राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को हुये नुकसान की भरपाई करनी होगी। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय ठेकाकर्मियों की उपस्थिति/रिकार्ड का आकस्मिक निरीक्षण कर सके और उसमें आवश्यक बदलाव के दिशा--निर्देश दे सके। यदि आकस्मिक निरीक्षण के एकरान निर्धारित संख्या से कम ठेकाकर्मी पाये गये तो राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित भुगतान की एकगुनी राशि की दर से संवेदक पर शास्ति आरोपित की जाकर संवेदक के बिल में से कटौती की जावेगी।
25. सफल ई–निविदादाता को एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी, जिसमें आम दर्शक अपनी शिकायत दर्ज कर सके तथा यह पुस्तिका प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष शिकायतो पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत की जावेगी। यदि ई–निविदादाता प्रत्येक माह में उपस्थित नहीं होता है तो प्राप्त शिकायतों पर शास्ति निर्धारित कर दी जावेगी जिसको ई–निविदादाता द्वारा के बिल से कटौती कर ली जायेगी।
26. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर एवं उनकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति अचानक/कभी भी यह जॉच कर सकेगा कि ठेके के लिये निर्धारित शर्तो की पालना सफल ई–निविदादाता द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। यदि किसी भी शर्त की अवहेलना पाई जाती है तो यह अनुबन्ध भंग करना माना जावेगा, जिसके लिये ई–निविदादाता के विरूद्व शास्ति आरोपित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धक का होगा, जिसे ई–निविदादाता को मानना होगा।
27. माल एवं सेवा कर (GST) की राशि सफल ई–निविदादाता द्वारा नियमानुसार स्वयं के स्तर से जमा करानी होगी। माल एवं सेवा कर (GST) राशि का भुगतान परिषद द्वारा नियमानुसार किया जावेगा। माल एवं सेवा कर की राशि समय पर एवं नियमानुसार जमा नहीं कराने की स्थिति में सफल ई–निविदादाता संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
28. ई–निविदादाता द्वारा Manpower कार्य का निर्धारित अवधि से पूर्व जोडने अथवा नियमानुसार नहीं करने के फलस्वरूप ठेका कार्य निरस्त होने, उक्त दोनों स्थितियों में ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा ई–निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य करवाया जावेगा एवं इस संबंध में किसी भी आर्थिक क्षति की पूर्ति ई–निविदादाता की परिषद में किसी भी प्रकार की जमा राशि से कर ली जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

29. ई–निविदादाता द्वारा निर्धारित धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ ही तकनीकी ई–निविदा में उपरोक्तानुसार वर्णित सूचनाएं/दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिनके आधार पर प्रस्तुत तकनीकी ई–निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा एवं तकनीकी रूप से सफल ई–निविदादाताओं की ही वित्तीय ई–निविदा खोली जायेगी ।
30. ई–निविदादाता को ई–निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त वर्णित शर्तो का सावधानी से अध्ययन करना चाहिये तथा सूचना में वर्णित शर्तो के बारे में कोई शंका होने की स्थिति में कार्यालय से उस संबंध में वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये। इस बारे में सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा की गई व्याख्या एवं इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
31. संवेदक द्वारा Annexure-3 अनुसार भोजन व्यवस्था (To prepared food and other Items) हेतु आवश्यक मैनपावर उपलब्ध करवानी होगी। Annexure-1 में न्यूनतम मैनपावर खिलाडियों की संख्या अनुसार निर्धारित की गई है। वित्तीय बिड में संवेदक द्वारा Annexure-3 अनुसार भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक मैनपावर की कुल मासिक लागत अंकित की जानी है।
32. **वित्त (जी एण्ड टी) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.04.18 दिनांक 14.05.2018 एवं 03/2018 दिनांक 11.07.2018 में जारी निर्देशों की पालना हेतु परिपत्र में अंकित शर्तो की पालना किया जाना आवश्यक है।**

    i. न्यनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
    ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियामानुसार पंजीकृत संवेदन ही उक्त प्रकार की ई–निविदा में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए ई–निविदा दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
    iii. श्रम विभाग/परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व समबन्धित संवेदक का होगा।
    iv. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा।
    v. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, कार्मिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
    vi. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार निर्धारित समय पर EPF एवं ESI की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
    vii. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समयं पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 17:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

viii. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदाही होगा।

ix. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

x. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ESI करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवदेक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xi. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

xii. संवेदक द्वारा **Annexure-"1"** में वर्णित मैनपावर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यदि आवश्यकता अनुसार परिषद् द्वारा अकादमियों के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त मैनपावर हेतु निर्देशित किया जाता है तो संवेदक द्वारा अतिरिक्त मैनपावर उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसके विरूद्ध किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

xiii. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

33. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार-- ई–निविदा मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि ई–निविदा मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और

(ग) यदि शब्द और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्द में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्द में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

34. परिमाण में परिवर्तन का अधिकारः—

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या ई–निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो ई–निविदा लगाने वाला ई–निविदा दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मएकं या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह ई–निविदा दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मएकं की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

35. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक ई–निविदा लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस ई–निविदा लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी ई–निविदा स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस ई–निविदा लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी ई–निविदा स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है

तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस ई–निविदा लगाने वाले, जिसकी ई–निविदा स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम ई–निविदा लगाने वाले या उसी क्रम में और भी ई–निविदा लगाने वालों के बीच, उस ई–निविदा लगाने वाले की दरों पर, जिसकी ई–निविदा स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त ई–निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम ई–निविदा लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा ई–निविदा दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम ई–निविदा लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम ई–निविदा लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

36. सफल ई–निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में वांछित राशि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पास जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई–निविदा प्रतिभूति, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के सफलता पूर्वक समाप्ति पर तीन माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरांत चैक से लौटा दी जायेंगीः—

(अ.)सभी सम्बन्धित अनुभागों से "बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ब.)श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा निगम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।

(स.)कान्ट्रेक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर।

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.03.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

37. सभी वैधानिक दायित्व, आवश्यकताये मय आयकर/वस्तु एवं सेवा कर व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संवेदक द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
38. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कामगारों की सेवाओं की एवज में परस्पर तय की गई राशि, नियोक्ता का भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के पेटे भुगतान एवं सर्विस चार्ज के अलावा कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुबन्धित संवेदक द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान सर्विस टैक्स की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक स्वयं की होगी तथा जमा कराने का प्रमाण–पत्र राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा।
39. यदि संवेदक नियोजित ठेकाकर्मियों को सम्पूर्ण देय राशि से कम राशि का भुगतान करता है तो उसका अनुबन्ध रद्द डीबार/ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा।
40. संवेदक के कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वेदक की होगी और वह यह सुनिश्चित करेगा कि आन्दोलनकारी परिसर में प्रवेश ना करने पावे और राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की सम्पति/कर्मचारी/अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचा पाये। संवेदक के कर्मचारियों द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की सम्पति अथवा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई नुकसान की भरपाई संवेदक द्वारा की जावेगी।
41. यदि ठेका अवधि के एकरान नियुक्त कार्मिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है, तो इसके लिये नियमानुसार जो भी भुगतान होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
42. कार्मिकों से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण संवेदक/एजेन्सी स्वयं रखेगी एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी को किसी रिकार्ड की जरुरत पड़ने पर वह आवश्यक रुप से उपलब्ध करवायेगा।
43. संवेदक द्वारा कोई भी बाल कार्मिक नहीं लगाया जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
44. संबंधित फर्म को उपलब्ध करवाई गई मैनपावर के अनुसार भुगतान एवं ऑपरेशनल/मैनेजमेंट चार्जेज (5% of manpower wage) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा
45. वर्कमैन कम्पैनसेशन एक्ट एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत सभी दायित्वों, हानि, क्लेम, क्षतिपूर्ति, व्यय, मांग आदि जिम्मेदारी सम्बन्धित संवेदक की होगी और किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, परिपत्र सूचना जो कि संवेदक के कार्मिकों से सम्बन्धित है, की पालना भी अनुबन्धित संवेदक द्वारा की जावेगी।
46. प्रस्तुत ई–निविदा की मान्य वैधता 60 दिवस तक होगी एवं सशर्त ई–निविदा मान्य नहीं होगी। ई–निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित की गई दरें राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए ई–निविदा खुलने की तिथि से 60 दिवस तक मान्य होंगी।
47. संवेदक को अपना स्थानीय कार्यालय जिला जयपुर में खोलना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Railesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

48. न्यूनतम एल–1 निविदादाता निर्धारित करने का आधार :–
    - तकनीकी बिड में सफल निविदादाओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
    - वित्तीय बिड में न्यूनतम ई–निविदादाता का प्रस्ताव ही न्यूनतम एल–1 प्रस्ताव माना जावेगा।
49. अन्य शर्ते समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरटीपीपी एक्ट एण्ड आरटीपीपी रूल्स के अनुसार रहेगी।
50. ई–निविदा के संबंध में अपील अधिकारी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर होगें।
51. ई–निविदा से सम्बन्धित समस्त विवादों के निपटारे हेतु न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
52. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को बिना कारण बताये किसी भी ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदाकार मय पूर्ण
पते सहित

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24051766
M e-Sign

Annexure-"2"

Qualification of Employees

Sr. No.	Name of Post	Eligibility	Duties
1.	SUPERVISIOR	B.A. Passed with Three years Experience of relevant work	Assist the academy incharge for procurement of dry rations, vegetables, fruits, dairy products, and non-vegetarian items. Manage vendor accounts and inventory records. Prepare and implement diet charts as per nutritional requirements for breakfast, lunch, and dinner. Maintain daily stock registers and ensure timely supply of food materials to the kitchen.
2.	COOK	Three years Experience of relevant work	Prepare breakfast, lunch, and dinner as per the menu and diet chart issued by the Manager. Ensure food quality, hygiene, and timely meal preparation.
3.	ASSISTANT COOK	Three years Experience of relevant work	Assist the Cook in all food preparation activities. Perform tasks such as chopping, cutting, grinding, cleaning, and other kitchen-related work as instructed.
4.	HELPER/CLEANER	Three years Experience of relevant work	Serve food to trainees and staff. Wash utensils and kitchen equipment. Clean and maintain the kitchen and dining area after each meal. Assist in maintaining hygiene and sanitation standards.

Signature valid

Digitally signed by Railesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

Annexure "3"

Menu Chart

साप्ताहिक भोजन मैन्यू

Days	Before Morning Practice (05:40am to 06:00am)	During practice	Breakfast (8:30am to 9:30am)	Lunch (12:00pm to 1:00pm)	Before Practice (04:00pm)	During Practice	After Practice (6:30pm)	Dinner (8:.00pm to 9:30pm)	After Diner (10:00 pm)
Monday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	4 Atta Breads + Peanut Butter 2 Tbsp (20 gm), Panner Bhurjee 100 gm/ 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Gram 50 gm.	Bajra ke Chapati, Jeera Rice, Soybean Dal, Salad, 150 gm Curd, Pickle, Curry Pakoda, Salad, Fruits 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/ Paneer Bhurjee - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Ghee Chapati, Plain rice, Rajma curry, Seasonal Vegetable, Salad,	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Tuesday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Vegetable Poha, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, cornflakes, Sprouted Mix 50 gm.	Wheat Chapati, Veg pulao, Mixed Dal, Salad, 150 gm Curd, Pickle, Papad, Seasonal green leafy Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	! Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Bajra ki Chapati, Tomato rice, Chicken 250 gm or Chickpea Curry, Ahrar dal, Salad, Rasgulla 2 Pieces	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Wednesday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Dalia vegetables khichdi, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes 50 gm Sprouted.	Makki ke Chapati, Plain rice, Rajma Curry, Salad, 150 gm 150 Curd or, 1 glass buttermilk, Pickle, Seasonal Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/ Paneer Bhurjee - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Wheat chapati, Veg pulao, 150 gm of Paneer or 250 gm of Chicken, Mixed dal, Salad,	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Thursday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Oats milk porridge, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee),500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Mix Gram 50 gm.	Wheat Chapati, Lemon rice, Bengal Gram Dal, Papad, Salad, 150 gm Curd, Pickle, Seasonal Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Makki ki chapati, Plain rice, Black Channa curry, Basan Gatte Ki Sabji, Rajma curry, Salad, Kheer.	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 1 :37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

Friday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	4 Atta Breads + Peanut Butter 2 Tbsp (20 gm), Panner Bhurjee 100 gm/ 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes, Sprouted Gram 50 gm.	Bajran chapati, Ghee Rice, Moong Lentil Dal, Salad, 150 Grams Curd or 1 Glass lassi, Pickle, Soya-Mangodi Vegetable, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Egg/ Paneer Bhurjee - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Ghee chapati, Matar rice, Channa dal, 150 gm Paneer with Added Mushroom or 250 gm Chicken, Salad, and 50 gm of Gajar Ka Halwa	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Saturday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Dalia vegetables khichdi, Paneer Bhurjee 100 gm / 2 Eggs (Boiled/ Bhurjee), 500 ml Milk, Cornflakes 50 gm Sprouted Gram.	Makki ki Chapati, Plain rice, Tur Dal, Salad, 150 gm Curd, Pickle, Seasonal leafy vegetables, Salad, Fruit 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Fruit Juice 200ml + Soyachunks Bhurjee - 100 gm	Bajra ki chapati, Cinnamon rice, 150 gm Paneer or 250 gm Chicken - Masala, Rajma curry, Seasonal Vegetables, Salad.	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml
Sunday	Soaked Almonds - 5 Pieces + Dates 5 Pieces + Banana 1 Piece	Lemonade	Potato Parathas, 150 gm of Curd with Chickpeas Sabji, 50 gm of Jalebi and 500 ml of Milk	Wheat Chapati, Veg pulao, Rajma curry, Seasonal Vegetables saute, Lassi 1 glass, Salad, Papad, Fruits 1 Medium/ 150 gm Cut Fruits.	Banana 2 Pieces	Lemonade	1 Glass Seasonal Juice 200ml + Egg/ Paneer Bhurjee - 100 gm (Weight Without Vegetables)	Makki ki chapati, plain rice, Mixed dal, 200 gm Paneer or 250 gm Mutton (Goat), Salad, and 100 gm Sweet (Kesar Bati).	Lukewarm Milk 1 Glass with Added Turmeric and Black Paper Powder (No Sugar)250 ml

Signature valid

Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.08.17 1?:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766
M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–**rsscjaipur@gmail.com**

CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

S. No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Page No.
1.	Scanned Copies of tender document fee, EMD and processing fees			
2.	Copy of Labour license (in Rajasthan)			
3.	Copy of Registration certificate of EPF (in Rajasthan)			
4.	Copy of Registration Certificate of ESI (in Rajasthan)			
5.	Copy of GST Registration			
6.	Copy of PAN Card			
7.	Copy of Rajasthan Shop and business Act, 1958 Or Copy of Indian Partnership Act, 1932 Or Copy of Indian Compnay Act, 1956			
8.	Certificate from Chartered Accountant having UDIN for the proof of average annual turnover during the last 5 year (2021-22 to 2025-26) should be at least **178.00 Lakh**			
9.	Experience of having successfully completed simillar works (Man Power) during last 5 years (2021-22 to 2025-26) should be either of the following: - (i) One simillar completed works costing not less than the amount of 100 Lakh OR (ii) Two simillar completed works costing not less than the amount to 80 Lakh OR (iii) Three simillar completed works costing not less than the amount of 60 Lakh			
10.	Copy of GST PAID CERTIFICATE FOR THE MONTH OF March, 2026 IN GSTR-3B PROFORMA			
11.	Annexure A to D duly signed in context to RTPP Rules – 2013.			
12.	Tender document and Technical Bid and undertaking all three duly signed			
13.	Agency profile			
14.	List of other clients & Any other Document			
15.	Authorization certificate If the tender is signed other than owners			

Signature of Bidder Seal of Establishment
Full Name of Bidder with address and date

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.08.17 11:37:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24051766

M e-Sign

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष न0 0141--2744283, फैक्स नं0 0141--2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

FINANCIAL BIDS

1. ई–निविदादाता का नाम..

....

2. डाक का पता ....

....

....

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)......................................
   (निवास) ....
   (पैन नं0) ....

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEMS

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रति व्यक्ति प्रति माह	कुल मासिक व्यय राशि रूपये (समस्त करों सहित	
1	Supervisior	5			
2	Cook	30			
3	Assistant Cook	29			
4	Helper/Clearer	52			
	Total Manpower/Wages Amount (A)	116			
5	Operational/Management Charges (@5% of A) Amount (B)	—	5% of total Manpower/Wages Amount (A)		
6	कुल मासिक भुगतान (A+B)				

Note :- The bidder shall quote a consolidated monthly rate per person for each category of manpower. The total Manpower/Wages shall be calculated on the basis of the actual number of manpower approved/deployed for the respective month. Operational/Management Charges shall be payable @ 5% of the admissible Manpower/Wages.

ई–निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Rajkesh Meena
Designation : Secretary
Date: 2026.03.17 11:37:37 IST
Reason: Approved